पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 07/2021

1. राकेशकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. धर्मपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. जयदीप पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के वर्तमान खाता सं0 6/8 के खसरा सं0 39 की 9.739है0 खसरा सं0 57 की 3.984है0 खसरा सं0 173 की 3.362है0 खसरा सं0 211 की 2.934है0 खसरा सं0 218 की 3.794है0 कुल 23.813है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम 1/9 हिस्स राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 03 सुमन ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 राकेशकुमार प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल प्रतिवादी सं0 2 जयदीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 07/2021

1. राकेशकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. धर्मपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. जयदीप पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. एसबीआई शाखा डावडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी
वकील श्री राममूर्ति ताखर : प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक : 17-03-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के वर्तमान खाता सं0 6/8 के खसरा सं0 39 की 9.739है0 खसरा सं0 57 की 3.984है0 खसरा सं0 173 की 3.362है0 खसरा सं0 211 की 2.934है0 खसरा सं0 218 की 3.794है0 कुल 23. 813है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम 1/9 हिस्स राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा रामचन्द्र की खातेदारी हुआ करती थी। रामचन्द्र के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible]तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सख्यां [illegible] करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 [illegible] को वकील वादी ने तर्क अंकित किया तथा प्रतिवादी सं0 5 [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर [illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राकेशकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी आसन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही आसन संवत

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2073–76 प्रदर्श 1 व पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही आसन संवत 2073–76 प्रदर्श 1 व पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार धर्मपाल के दो पुत्र राकेश कुमार व जयदीप एक पुत्री सुमन तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादीया स0 03 सुमन ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 ता 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के वर्तमान खाता सं0 6/8 के खसरा सं0 39 की 9.739है0 खसरा सं0 57 की 3.984है0 खसरा सं0 173 की 3.362है0 खसरा सं0 211 की 2.934है0 खसरा सं0 218 की 3.794है0 कुल 23.813है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम 1/9 हिस्स राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूकिं प्रतिवादीया स0 03 सुमन ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 राकेशकुमार प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल प्रतिवादी सं0 2 जयदीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-03-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:54 IST
Reason: SelfAttested

(सत्य नारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner